

पञ्चवली छावनी कोर्ट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार में 'पेरा दुई /
 शालक रिकार्ड (सामान्य) संवत् २०७३ को २०७६ आ।।
 रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार
 ५०९, ५१०, ५१२, ५१३, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८ किला - ९ कुमर रजिस्ट्रार
 उ. ३९ है। में वादीगण का शालक रिकार्ड में दर्प हिस्सा
 में दर्प हिस्सा अनुकार खातेदार दर्प रिकार्ड है। वादीगण
 शालक रिकार्ड में दर्प हिस्सा एवं कब्जा के अनुकार
 अपनी श्रमि का विभाजन करवाना चाहते हैं। उक्त
 दर्पित श्रमि संयुक्त खातेदारी श्रमि है तथा श्रमि का
 विधिवत विभाजन नहीं हो रहा है। धारा ५३ के
 प्रावधान अनुकार रिकार्ड खातेदार अपने हिस्से की
 श्रमि का विधिवत विभाजन करवाने का अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा
 प्राथमिक डिक्री इस आदेश की ही जाती है कि ग्राम
 रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार
 ५०९, ५१०, ५१२, ५१३, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८ किला - ९ कुमर रजिस्ट्रार
 उ. ३९ है। में वादीगण का शालक रिकार्ड में दर्प हिस्सा
 एवं कब्जा के अनुकार खातेदार प्रावधान परवत दुस
 विधिवत विभाजन क्रिये जाने का आदेश दिया जाता है।
 तदनुसार लक्ष्मीलक्ष्मी उद्यमपुरवादी उद्यमपक्षों की उपास्थिति
 में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के
 दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। उक्त
 खाते की शेष श्रमि बरस्तुत रहेगी। डिक्री पचासरी हो

पञ्चवली फौजल कुमार होकर नम्बर के नाम हो गया
 काद तजवीज दारिजिल फफलर हो।

निर्णय आज दिनांक ११-६-१८ को कोर्ट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार
 में सुनाया गया।